न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00097

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

कमला पत्नी माणकराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

1. अमरचन्द पुत्र किस्तुरराम जाति खटीक
2. लीला देवी पत्नी भुण्डाराम मेघवाल
3. चन्द्राराम पुत्र जालुराम मेघवाल
4. संतोष देवी पत्नी हरदेवराम मेघवाल
5. गैना पत्नी लिखमाराम खटीक
6. मीरा पत्नी श्रवण खटीक
7. हीरालाल पुत्र नारायणलाल खटीक
8. सुखिया पत्नी हड़मानराम खटीक निवासीगण मुरडावा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
9. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम गहलोत
रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः–2/3/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार सोजत के प्रकरण संख्या 01/2018 अनवान अमरचंद बनाम कमला अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट कमलादेवी की गांव मुरडावा में खसरा नम्बर 83 की खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर उसने तारबंदी करवाई हुई है। इस संबंध में रेस्पोडेण्टगण ने तहसीलदार सोजत के समक्ष न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में एक मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 दर्ज कर बिना सुनवाई किए, बिना दस्तावेजों की जांच किए एवं बिना मौके स्थिति को देखे जैर अपील निर्णय दिनांक 15.05.2019 पारित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कर दिया, जो काबिल निरस्त है। ग्राम मुरडावा के खसरा नम्बर 83, 84, 85, 85/1, 86, 87, 87/844, 88, 89, 90, 90/843 की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 83 पर किसी प्रकार का कोई कदीम का रास्ता नहीं है, वहां पर अपीलाण्ट की मेहन्दी की फसल खड़ी है, इसके बावजूद रेस्पोडेण्टगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर, अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में कदीम का रास्ता बताते हुए, उसकी खातेदारी भूमि में से रास्ता खुलवा दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अमरचंद राजस्व विभाग में भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदस्थापित होने से, अपने पद का दुरूपयोग कर जैर अपील आदेश पारित करवाया है, जो काबिल निरस्त है। रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कहीं भी दर्शित नहीं किया कि रास्ता खुलवाने बाबत उन्होंने पूर्व में ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया हो, जबकि राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में यह स्पष्ट अंकन है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय–सीमा में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाए, तो तहसीलदार द्वारा निस्तारण किया जाएगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार सोजत के प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 को खारिज किया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार सोजत), न्याय आपके द्वार 2018, लोक अदालत केम्प चण्डावल नगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत परम्परागत रास्ता (सुखाचार) खुलवाने बाबत पेश किया। जिस पर तहसीलदार सोजत ने मूल ही प्रकरण उप तहसीलदार बगड़ी को मौका निरीक्षण कर, राजस्व अभिलेखानुसार जांच कर पालना करने बाबत लिखा। जिसकी पालना में दिनांक 16.05.2018 की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 83 की सीमा पर तारबंदी की हुई है तथा अपीलाण्ट का पति माणकचंद चार फीट का रास्ता प्रतिफल की एवज में देने बाबत अंकन है। इस संबंध में पूर्व में भी रेस्पोडेण्टगण द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पेश किया गया था, जिसकी पालना भू अभिलेख निरीक्षक, चण्डावल द्वारा जांच की गई थी, जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 29.02.2016 में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नम्बर 83 के वर्तमान खातेदार अपीलाण्ट द्वारा इसकी माठ पर तारबंदी की गई है, जिससे शेष खसरा नम्बर के खातेदारों का आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है, राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है, पर यह सभी खातेदार वर्षो से खसरा नम्बर 83, 85, 86, 87 की उतरी माठ के सहारे ट्रेक्टर वगैरा लेकर आते जाते रहे है। इससे स्पष्ट है खसरा नम्बर 83 की माठ पर पूर्व से ही कदीम (परम्परागत) रास्ता था, अपीलाण्ट द्वारा बाद खरीद खसरा नम्बर 83 के तारबंदी कर उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया। उक्त तथ्य की ताईद पत्रावली संलग्न पक्षकारों के बयानों से भी होती है। अपीलाण्ट का यह कहना गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया, उनको सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया गया तथा उनकी और से उनके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी की है, इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जैर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपील निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2018 अनवान अमरचंद बनाम कमला देवी में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रति के साथ उनकी मूल पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 2/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली